



श्री के० एन० सिंह महिला महाविद्यालय

135

नगर क्षेत्र जीयनपुर - आजमगढ़ उ०प्र०

संचालित-श्री कमलनाथ सिंह शिक्षा संस्थान बरोही फत्तेहपुर, सगड़ी-आजमगढ़
(सम्बद्ध बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर) कैम्प कार्यालय-

नगर क्षेत्र जीयनपुर आजमगढ़

Mo.9415655040,9415582141

website-www.sknsngirlscollege.org

E-mail : info@sknsngirlscollege.org

: knsjeanpur@gmail.com

राज बहादुर सिंह
(प्रबन्धक)

पत्रांक.....

दिनांक 21/2/2016.....

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
जयपुर (राजस्थान)।

विषय- संस्थान को डी०एल०एड (बी०टी०सी०) पाठ्यक्रम में 7 (16) हेतु वांछित प्रपत्रों को प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आप अपने पत्रांक- **No. NRC/NCTE/NRCAPP 12106/250th Meeting of the NRC (Part-5, 24.02.2016)** दिनांक 24 फरवरी, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री के० एन० सिंह महिला महाविद्यालय नगर क्षेत्र जीयनपुर, आजमगढ़ (उ०प्र०) को D.El.Ed. (B.T.C.) कोर्स में 7 (13) जारी किया गया था। इसी क्रम में श्री के० एन० सिंह महिला महाविद्यालय नगर क्षेत्र जीयनपुर आजमगढ़ (उ०प्र०) को 7 (16) की मान्यता हेतु आप द्वारा निर्देशित सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर निम्नलिखित पत्रजातों को संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित किया जाता है।

1. Particulars of the staff as per the prescribed format of NRC, NCTE
2. Advertisement in two leading newspaper.
3. Letter of nominating experts for the Selection of Teaching & Non-Teaching Staff.
4. Recommendations of the Selection Committee for appointment of Teaching & Non-Teaching Staff as per the norms of the affiliating body.
5. An affidavit of Rs. 100/- stamp paper to the effect that the institution has selected staff as per NCTE/State Government norms.
6. Educational & Professional qualification certificate of all teaching staff showing their eligibility for appointment as per the NCTE norms and experience certificate of the principal/HOD.
7. Conversion of Endowment Fund & Reserv Fund into a Joint Account of the Institution & Director NRC, NCTE Jaipur. (Anexxure - FDR & Form-A)

अतः आप से निवेदन है कि श्री के० एन० सिंह महिला महाविद्यालय नगर क्षेत्र जीयनपुर आजमगढ़ द्वारा डी०एल०एड (बी०टी०सी०) पाठ्यक्रम में मान्यता हेतु सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर आपकी सेवा में उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

133967
2/3/16

भारतीय

राज बहादुर सिंह (प्रबन्धक)

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-11

लखनऊ, दिनांक 9 सितम्बर, 2016

विषय- निजी संस्थान श्री के०एन० सिंह महिला महाविद्यालय प्लाट संख्या-77,76,62 मि बहरामपुर, जीयनपुर, पोस्ट-जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़ को बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी संस्थान श्री के०एन० सिंह महिला महाविद्यालय प्लाट संख्या-77,76,62 मि बहरामपुर, जीयनपुर, पोस्ट-जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़ को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- (1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
- (2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन०सी०टी०ई० तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
- (3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
- (5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
- (6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2016 से 10.06.2016 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 से एक यूनिट (50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन०सी०टी०ई० के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या- (1)/15-11-2016, तद्दिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन-110002
 - 2- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, चौथी मंजिल, जीवन निधि-II एल०आई०सी० बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर, राजस्थान, पिन-302005।
 - 3- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ०प्र०, इलाहाबाद।
 - 4- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, आजमगढ़।
 - 5- सचिव/प्रबन्धक, श्री के०एन० सिंह महिला महाविद्यालय प्लाट संख्या-77,76,62 मि बहरामपुर, जीयनपुर, पोस्ट-जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।
 - 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

प्रेषक,

पंजीकृत

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
श्री के०एन० सिंह महिला महाविद्यालय,
नगर क्षेत्र जीयनपुर,
आजमगढ़।

पत्रांक- शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०- 2273 / 7070-7 / 2015-16 दिनांक: 3 मार्च, 2016
विषय:- निजी डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व वित्तपोषित संकाय सदस्यों के चयन के अनुमोदन के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 02.03.2016 के संदर्भ में एन०सी०टी०ई० नियमावली 2014 के अनुसार प्रबन्धक के शपथ पत्र के प्रति निजी डी०एल०एड० (बी०टी०सी०) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय सदस्यों का अनुमोदन दो वर्ष के प्रवेशन पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता निरस्त होने की दशा में योग्यता सम्बन्धी सत्यापन असत्य पाये जाने पर तथा अन्य किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा तो अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

01. सुश्री मीना सिंह	प्राचार्य/विभागाध्यक्ष
02. श्री पंकज कुमार जायसवाल	प्रवक्ता शिक्षा का आधार/परिप्रेक्ष्य
03. श्री अखिलेश्वर सिंह	प्रवक्ता गणित
04. श्री अविनाश कुमार मिश्र	प्रवक्ता विज्ञान
05. श्री आनन्द सिंह (अनुसूचित जाति)	प्रवक्ता समाज विज्ञान/मानविकी
06. सुश्री मधुलिका गुप्ता (पिछडी जाति)	प्रवक्ता भाषा
07. श्री सन्तोष सिंह	प्रवक्ता कला
08. श्री दिशाल मोहन गोस्वामी (पिछडी जाति)	प्रवक्ता स्वास्थ्य शिक्षा

समस्त अनुमोदित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्रों का सम्बन्धित संस्था से सत्यापन करा कर, सत्यापन की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

श्रीमती(नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०,इलाहाबाद।

/2015-16 तददिनांक।

पृ०सं० शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

01. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०,लखनऊ।
02. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि- II, एल०आई०सी० बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005 (राजस्थान)।
03. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, आजमगढ़।

श्रीमती(नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०,इलाहाबाद।